Government Of Rajasthan
Office of The Principal
Govt. Medical College & Attached Hospital, Bharatpur (Raj.)
EMAIL- principal.mc.bhartpr@rajasthan.gov.in

क्रमांकः मेडि.कॉले. / संस्था. / यूटीबी / 2021 / 2957   दिनांक 31 / 08 / 2021

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय की विज्ञप्ति क्रमांकः GMC/Estt./Faculty/UTB/2021/2587 दिनांक 31.07.2021 के तहत साक्षात्कार का आयोजन दिनांक 04.08.2021 को किया गया एवं श्रीमान् निदेशक, राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी, जयपुर के पत्र क्रमांकः F1(20)RajMES/Estt./UTB Faculty/Bharatpur/2017/2343 दिनांक 26.08.2021 के द्वारा, श्रीमान् निदेशक, राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी, जयपुर के पत्र क्रमांक प. 1(79)DME / संस्था / 2017 / पार्ट–1 / 7312 दिनांक 10.11.2017 के तहत इस चिकित्सा महाविद्यालय में स्वीकृत पदों पर राजमेस के एम्पलॉयमेन्ट रूल्स (रिक्रूटमेन्ट एण्ड अदर कंडीशन्स) 2017 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर नियुक्ति उपरान्त रिक्त रहे पदों को सोसायटी के सेवानियमों के अंतर्गत विहित प्रक्रिया प्रावधानानुसार तथा निम्न चिकित्सक शिक्षकों की योग्यता एम.सी.आई. / एन.एम.सी. के मापदण्डों के अनुसार सुनिश्चित करते हुये आवश्यक अस्थायी आधार (यूटीबी) पर 06 माह अथवा नियमित चिकित्सक शिक्षक उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। उक्त आदेश / निर्देशों की अनुपालना में निम्न अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित पद एवं विभाग में आवश्यक अस्थायी आधार (यूटीबी) पर 06 माह अथवा नियमित चिकित्सक शिक्षक उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो के लिए निम्नलिखित नियम व शर्तो के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है। एम.सी.आई.. / एन.एम.सी. द्वारा अयोग्य घोषित किये जाने पर इनकी नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जावेगी।

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पदनाम	विभाग
1	डॉ. पारूल गुप्ता	वरिष्ठ प्रदर्शक	माइक्रोबायोलॉजी
2	डॉ. आकाश	वरिष्ठ प्रदर्शक	माइक्रोबायोलॉजी

नियम व शर्तेः–

1. अभ्यर्थी को **दस (10) कार्यदिवस** में अपनी उपस्थिति इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित समय में उपस्थिति प्रस्तुत नही करने पर यूटीबी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त हो जावेगी।
2. यह नियुक्ति आवश्यक अस्थायी आधार (यूटीबी) पर 06 माह अथवा नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो, तक के लिए मान्य होगी।
3. अभ्यर्थी को योग्यता से संबंधित समस्त मूल दस्तावेज (मय स्वप्रमाणित छायाप्रति), अनुभव प्रमाण पत्र, सक्षम स्तर से जारी दो चरित्र प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र सहित अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। उक्त दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर नियुक्ति तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दी जावेगी।
4. चिकित्सक शिक्षक को आवश्यकतानुसार कोविड वार्ड, आकस्मिक विभाग सहित दूसरे विभागों में भी पदस्थ किया जा सकेगा।
5. एम.सी.आई. / एन.एम.सी. निरीक्षण के समय अनुपस्थित रहने या एम.सी.आई./एन.एम.सी. निरीक्षक द्वारा अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से बिना किसी नोटिस के समाप्त कर दी जावेगी।
6. कार्यग्रहण के समय अभ्यर्थी को निम्न प्रपत्र में शपथ पत्र (Affidavit on Stamp Paper of Minumum Value Rs. 100) प्रस्तुत करना होगा कि–
   - यह कि मुझे किसी भी सक्षम न्यायालय / प्राधिकारी द्वारा संस्था में नियोजन प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित नही किया गया है।
   - यह कि मेरी कदाचार के कारण पूर्व में सेवायें समाप्त नही की गई है।
   - मैं कोविड–19 महामारी के दौरान कोविड वार्ड में प्रदत्त कर्त्तव्यों का निर्वहन पूर्णरूप से करूंगा/करूंगी एवं कार्य संपादन करने में कभी भी आपत्ति नहीं जताऊँगा / जताऊँगी।
   - यह कि मैने शैक्षणिक सत्र 2020–21 के दौरान दिनांक 01.08.2020 को या उसके बाद एम.सी.आई./एन.एम.सी. निरीक्षण में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है।
   - यह कि राजकीय मेडिकल कॉलेज, भरतपुर के नियुक्ति आदेश .... दिनांक .... के तहत मेरी यू.टी.बी. आधार सेवा 06 माह के लिए है। 06 माह बाद मिलने वाली पुनर्नियुक्ति को मांगने के लिये मेरा कोई अधिकार नहीं होगा। राजस्थान सरकार के सेवा नियमों के आधार पर मुझे पुनर्नियुक्ति नही मिलने पर मैं किसी भी न्यायालय / अधिकरण / मंच में नियुक्ति हेतु दावा प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी। अगर मैं इस संबंध में किसी भी न्यायालय / अधिकरण / मंच दावा प्रस्तुत करता/करती हूँ तो वह झूठा एवं बेअसर माना जावे।
   - यह कि मेरे बिना किसी भी पूर्व सूचना के लगातार 10 दिवस तक अनुपस्थित रहने पर बिना किसी पूर्व नोटिस के सेवायें समाप्त करने का पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कॉलेज, भरतपुर का होगा।
   - यह कि नियुक्ति / नियुक्ति के निरस्तीकरण / पुनर्नियुक्ति के संपूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कॉलेज, भरतपुर को होंगे। नियुक्ति निरस्त हो जाने के पश्चात् मैं किसी भी न्यायालय / अधिकरण / मंच के समक्ष चुनौती प्रस्तुत नहीं

करूंगा / करूंगी। अगर मैं इस संबंध में किसी भी न्यायालय/अधिकरण/मंच के समक्ष चुनौती प्रस्तुत करता / करती हूँ तो वह झूठा एवं बेअसर माना जावे और इस शपथ पत्र की सत्यता निरस्त होने पर मुझे पूर्णतया दोषी माना जायेगा।

- ➢ यह कि मैं कॉलेज परिसर में आवास/क्वार्टर आवंटन के लिये आवेदन प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी क्योंकि वर्तमान में कॉलेज परिसर में कोई भी आवास/क्वार्टर रिक्त नही है तथा इस संदर्भ में मेरे द्वारा साक्षात्कार के समय भी घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।
- ➢ यह कि मेरा चयन अन्य किसी संस्था/चिकित्सालय/विभाग में होने के पश्चात, मेरे द्वारा नियमानुसार एक माह पूर्व त्याग पत्र नोटिस न प्रस्तुत करने की स्थिति में, मैं आखिरी एक माह का वेतन मांगने का हकदार नहीं रहूंगा/रहूंगी।

7. सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी को अपने नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं कार्यमुक्ति आदेश प्रस्तुत करना होगा।
8. आवश्यक अस्थायी आधार (यूटीबी) पर नियुक्ति राजमेस के एम्पलॉयमेन्ट रूल्स (रिक्रूटमेन्ट एण्ड अदर कंडीशन्स) 2017 के अध्याधीन रहेगी। राजमैस, जयपुर द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना/संशोधन/आदेश/निर्देश लागू एवं मान्य होंगे।
9. कार्यग्रहण के लिए अभ्यर्थी को टीए/डीए देय नही होगा।
10. अभ्यर्थी को राजमैस के नियमो के अंतर्गत समेकित वेतन देय होगा।
11. कर्त्तव्य– अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं विभाग प्रभारी के निर्देशानुसार कार्यो का निर्वहन करना होगा। दैनिक कार्यावधि भी अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं विभाग प्रभारी के निर्देशानुसार रहेगी। कर्त्तव्य स्थल पर पहुंचने के लिए कोई भत्ता देय नही होगा। हडताल आदि सम्मिलित होने या अनुशासनहीनता के दोषी पाये जाने पर सेवाये तत्काल प्रभाव से बिना किसी नोटिस के समाप्त कर दी जावेगी।
12. कार्यरत कार्मिक न्यूनतम एक माह पूर्व की अवधि का नोटिस देकर त्याग पत्र दे सकेंगे। एक माह का नोटिस नही देने की स्थिति में त्याग पत्र स्वीकृत/सेवा समाप्त होने से एक माह पूर्व के वेतन की कटौती कर ली जावेगी।
13. कार्मिक से संबंधित सभी मामलों में प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक का निर्णय अंतिम होगा।
14. अभ्यर्थी को अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करने के समय ही पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

डॉ. (कर्नल) रजत श्रीवास्तव
प्रधानाचार्य
राजकीय मेडिकल कॉलेज, भरतपुर

क्रमांकः मेडि.कॉले./संस्था/यूटीबी/2021/2952 दिनांक :31/08/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्रीमान् निदेशक, राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी, राजस्थान जयपुर को विनम्र सूचनार्थ।
2. नोडल अधिकारी (वेबसाइट) को भेजकर लेख है, कि चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
3. कार्यालय प्रति

डॉ. (कर्नल) रजत श्रीवास्तव
प्रधानाचार्य
राजकीय मेडिकल कॉलेज, भरतपुर